



2026:AHC-LKO:12769-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1413 सन 2026

मेसर्स अनंत राम वर्मा ईट उद्योग लखीमपुर खीरी द्वारा
प्रोपराइटर अनंत राम वर्मा एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ, एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अनुराग नारायण श्रीवास्तव, पवन कुमार वर्मा, वर्तिका पांडे
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : अशोक कुमार वर्मा, शैलेन्द्र सिंह राजावत

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. सुनवाई हुई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर ईट भट्ठा चलाने के अपने अधिकार का दावा करते हैं, हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जिस भूमि पर ईट भट्ठा स्थित है, वह प्रतिवादी संख्या 3 की है, जो याचिकाकर्ता संख्या 2 का पुत्र है। याचिकाकर्ताओं को दी गई संचालन अनुमति 2023 में समाप्त हो गई थी, याचिकाकर्ताओं ने इसके नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं दिया। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने उसी भूमि के संबंध में संचालन अनुमति के लिए आवेदन किया, जो प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज थी, जिसे मार्च 2025 में प्रदान किया गया था और तब से प्रतिवादी संख्या 3/4 ईट भट्ठे का संचालन कर रही हैं। यह भूमि याचिकाकर्ताओं की नहीं है और उन्होंने कभी भी नवीनीकरण/संचालन अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए उन्हें इस न्यायालय के समक्ष आपत्ति करने का कोई कारण नहीं है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने निजी प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा का मुकदमा दायर किया था, जिसमें शुरू में विचारण न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी, लेकिन अपील में उच्च न्यायालय ने 11.11.2025 को प्रथम अपील आदेश संख्या 475/2025 [अनंत राम वर्मा बनाम ललित कुमार वर्मा और अन्य] में निषेधाज्ञा प्रदान की, जो कि अभी भी लागू है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को दिए गए दिनांक 19.03.2025 के सहमति आदेश को चुनौती दी गई है। हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपर्युक्त अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश केवल विवादित संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए है और 11.11.2025 की स्थिति यह थी कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 11.11.2025 से पहले दिए गए सहमति आदेश के अनुसार विवादित भूमि पर ईट भट्ठा चला रही थीं। हालांकि, इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि संचालन की सहमति देते समय, याचिकाकर्ताओं की पुरानी फर्म का उल्लेख किया गया है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह एक स्वामित्व फर्म है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 की कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह सूचित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 एक साझेदारी फर्म है जिसमें अन्य निजी प्रतिवादी साझेदार हैं।

4. याचिकाकर्ताओं को लंबित अपील संख्या 475/2025 में वाद संपत्ति में अपने अधिकारों के संबंध में उचित उपाय मांगने और/या प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष आवेदन करने का अधिकार खुला रखते हुए, यदि कोई कारण हो, जिस पर स्पष्ट रूप से कानून के अनुसार विचार किया जाएगा और उस प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को भी सुना जाएगा, हम इस याचिका का निस्तारण करते हैं क्योंकि मूल रूप

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से याचिकाकर्ता संख्या 2 और उसके पुत्र अर्थात् प्रतिवादी संख्या 3 के बीच विवाद है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और विशेष रूप से क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के पक्ष में दी गई पट्टा अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

[न्यायमूर्ति मनीष कुमार]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 18, 2026

शानू/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।